

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

.....सखी..... बनाम.....पांथराम कौरा.....

किस्म मुकदमा.....राजस्व जाद..... मुकदमा नम्बर.....03...../2025

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	------------------------------	--

10/01/25

प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री आश्वाराम पुन्ड..... यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... 199 Pt Act..... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/02/2025..... को पेश हो।

13/02/25

पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निम्न कार्य में व्यस्त है, पिसल इत्लावा होकर पत्रावली पूर्ण अन्वेषितानुसार कार्यवाही दिनांक 24/04/25 तक के लिए।

24/03/25

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी स्थिति उपस्थित। वादी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लगे बाबर पेश कर निवेदन किया कि अतः अनुमान सदर का उक्तरण अहकाम अन्त में विद्यमान है जिसकी भणामी पेशी तारीख 24/04/25 को सुकर है। अतः उक्तरण में वादी व प्रतिवादी के बीच रजिनामा हो गया है इसलिए पत्रावली आज पेशी पर लिया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि पत्रावली को पेशी पर लेकर अतः अनुमान को प्रार्थना पर सुनवाई करने का आदेश करवावे। वादी के निवेदन पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई।

सखी



23/12/20

सेवा में.

वही वकील ने प्रार्थना पत्र वास्तु वाद विद्वा करने
 बखर पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूखान के
 प्रकरण में वही व प्रतिवादीगण के बीच गांव
 के मौजिम लोगों ने लोक अदालत की भावना से
 शर्जीनामा करा दिया है। अब हमारे बीच किसी
 प्रकार का तनाव नहीं है। अतः निवेदन है,
 कि उक्त भूखान के प्रकरण को विद्वा करने का
 आदेश फरमावे। वही व वही वकील के निवेदन
 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उक्त फावली
 की कसबई इसी स्वर पर समाप्त की जाती है।
 जब फावली को जरूर विद्वा खासि किया जाता है।
 फावली कैसल गुमार होकर दाखिल हफ्तर ही।
 संख्या से एक कम हो।

कमी प्रमाणिक तदिति विद्वा
 केवल पत्र प्रमाण कमी विद्वा
 कमी प्रमाणिक तदिति विद्वा